

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन म0प्र0

कमांक/

4796

/वाचक-2/2022

खरगोन, दिनांक

10/12/21

प्र0क0/27/अ-78/21-22

10/12/21

कार्यपालन यंत्री जल ससाधन संभाग खरगोन के पत्र कमांक 3885 दिनांक 24.09.2021 द्वारा विकासखण्ड झिरन्या में स्वीकृत दामखेडा तालाब में प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत तहसील सेगोंव के ग्राम खामखेडा प.ह.नं.14 में स्थित सर्वे नम्बर 209 रकबा 107.443 हैक्टे. मे से पैकी रकबा 36.480 हैक्टे. रोड से पुर्व तथा रकबा 6.680 हैक्टे. रोड से पश्चिम इस प्रकार रकबा 43.160 हैक्टे. तथा खसरा नम्बर 195 रकबा 244.307 हैक्टे. मे से पैकी रकबा 31.270 इस प्रकार कुल रकबा 74.430 हैक्टे. शासकीय भूमि मद निश्चित चरनोई एवं नाकावील चरनोई की भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग को हस्तांतरण किये जाने की माँग की गई ।

तहसीलदार सेगोंव के प्रकरण प्रस्ताव प्रतिवेदन/अनुशंसा एवं अ0वि0अ0 (राजस्व) खरगोन अभिमत तथा प्रकरण के संलग्न अभिलेख/दस्तावेजों के आधार पर विकासखण्ड झिरन्या में स्वीकृत दामखेडा तालाब में प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत तहसील सेगोंव के ग्राम खामखेडा प.ह.नं.14 में स्थित सर्वे नम्बर 209 रकबा 107.443 हैक्टे. मे से पैकी रकबा 36.480 हैक्टे. रोड से पुर्व तथा रकबा 6.680 हैक्टे. रोड से पश्चिम इस प्रकार रकबा 43.160 हैक्टे. तथा खसरा नम्बर 195 रकबा 244.307 हैक्टे. मे से पैकी रकबा 31.270 इस प्रकार कुल रकबा 74.430 हैक्टे. शासकीय भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खरगोन के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खरगोन द्वारा राजस्व प्र0क0 0058/ब-121/21-22 में आदेशिका दिनांक 13.10.2021 से तहसीलदार सेगोंव के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उक्त आवेदित शास.भूमि हस्तांतरण के अभिमत सह प्रकरण प्रस्ताव अग्रहित किया है।

म0प्र0नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के तहत गठित जिला नजूल नियंत्रण समिति खरगोन द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 23.12.2021 (कमांक-01) में लिए गए निर्णय अनुसार आवेदित भूमि पैकी रकबा 74.430 हैक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः तहसीलदार सेगोंव के प्रकरण प्रस्ताव प्रतिवेदन/अभिमत तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन के अभिमत/अनुशंसा तथा प्रकरण के संलग्न राजस्व अभिलेखों के आधार पर विकासखण्ड झिरन्या में स्वीकृत दामखेडा तालाब में प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत तहसील सेगोंव के ग्राम खामखेडा प.ह.नं.14 में स्थित सर्वे नम्बर 209 रकबा 107.443 हैक्टे. मे से पैकी रकबा 36.480 हैक्टे. रोड से पुर्व तथा रकबा 6.680 हैक्टे. रोड से पश्चिम इस प्रकार रकबा 43.160 हैक्टे. तथा खसरा नम्बर 195 रकबा 244.307 हैक्टे. मे से पैकी रकबा 31.270 इस प्रकार कुल रकबा 74.430 हैक्टे. शासकीय भूमि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) के तहत दर्शित मद से कम की जाकर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(2) की कंडिका-05 के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म0प्र0शासन, वन विभाग को सशर्त हस्तांतरित की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1- भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी जा रही है, उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाएगी। अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग की जाने पर तथा कोई विधिक विवाद उत्पन्न होने की दशा में यह आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
- 2- म0प्र0 शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का यथासमय पालन करना होगा।
- 3- प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई विधिक विवाद उत्पन्न होने की दशा में यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

//कलेक्टर द्वारा अनुमोदित//

अक्षर कलेक्टर
जिला खरगोन (म0प्र0)

निरंतर....2



// 2 //

मूकमांक/

4797

/वाचक-2/2022,

खरगोन, दिनांक 3 /02/2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, प्लॉट नं. 220, अरेरा हिल्स, राजस्व भवन, म.प्र. भोपाल।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल खरगोन
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन।
4. प्रभारी अधिकारी, नजूल जांच शाखा, कलेक्टोरेट खरगोन।
5. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खरगोन
6. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग भीकनगाँव
7. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश खरगोन।
8. तहसीलदार, सेगाँव की ओर आदेश प्रति सह मूल प्रकरण आदेशानुसार भूमि का आधिपत्य वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी को सौंपकर पंचनामा/कब्जा रसीद मूल अभिलेख में सुरक्षित रख तदनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि कर संशोधित अभिलेख प्रकरण संलग्न किए जाने हेतु प्रेषित।

संलग्न :- मूल प्रकरण

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला, खरगोन, (म.प्र.)